



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह

PROF. KRISHNA KUMAR SINGH

कार्यकारी कुलसचिव

ACTING REGISTRAR

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902

फैक्स / Fax : +91-7152-230903

पत्रांक : 006/Estt./A.I./2017/12/ 1023

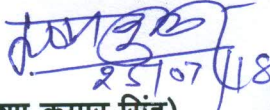
दिनांक : 25.07.2018

सूचना

जनवरी/जुलाई में शैक्षणिक कर्मियों की वार्षिक वेतनवृद्धि जोड़ने का प्रावधान है। आदेश क्रमांक 006/Estt./2011/10/Gen.Corr./835 दिनांक 25.06.2018 के माध्यम से सभी संकाय सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपनी प्रोफाइल को अद्यतन कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 25.07.2018 तक अपलोड कर मुद्रित प्रति स्थापना एवं प्रशासन विभाग में जमा कर दें। उक्त तिथि तक अद्यतन प्रोफाइल अपलोड तथा मुद्रित प्रति स्थापना एवं प्रशासन विभाग में जमा न होने की स्थिति में जुलाई 2018 की वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

उक्त सूचना के तारतम्य में कुछ संकाय सदस्यों द्वारा अपनी प्रोफाइल की अद्यतन (मुद्रित) प्रति स्थापना एवं प्रशासन विभाग में जमा नहीं की गई है। अतः ऐसे संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी प्रोफाइल (जुलाई 2017 से जून 2018 तक) को अद्यतन कर मुद्रित प्रति दिनांक 26.07.2018 तक स्थापना विभाग में जमा करें ताकि जुलाई 2018 माह की वेतनवृद्धि संबंधी कार्यवाही की जा सके।

इसे सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।


(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
2. प्रतिकुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
3. कुलसचिव कार्यालय, म.गां.अं.हि.वि., वर्धा
4. समस्त विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/क्षेत्रीय केंद्र, म.गां.अं.हि.वि. वर्धा
5. प्रभारी, लीला, म.गां.अं.हि.वि. वर्धा की विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. संबंधित फाइल/गार्ड फाइल